भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1269

08.12.2025 को उत्तर के लिए

सरकारी भूमि के उपयोग के लिए लगाई गई शास्ति की समीक्षा

1269. श्री कुंदुरु रघुवीर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा आरजी कोयला खदान के लिए उपयोग की गई 330.1826 हेक्टेयर भूमि को मूल रूप से 1978 में सरकारी भूमि घोषित किया गया था, लेकिन बाद में 2013 में इसे वन भूमि के रूप में पहचाना गया;

(ख) क्या तेलंगाना सरकार ने दिनांक 27.05.2024 के पत्र के माध्यम से चरण-एक वन स्वीकृति में लगाई गई शास्ति को माफ करने की सिफारिश की है और एससीसीएल ने भी 30.11.2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शास्ति को कम करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या एससीसीएल ने 16.04.2025 को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के रूप में 34.31 करोड़ रुपए पहले ही जमा कर दिए हैं और अन्य शर्तों का पालन किया है; और

(घ) क्या सरकार का भूमि के पूर्व में सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए, चरण-एक की शर्तों के तहत लगाए गए पांच गुना दंडात्मक एनपीवी की समीक्षा करने या उसे माफ करने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): 'भूमि' राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित विषय है। वन क्षेत्रों तथा उनके विधिक सीमाओं का निर्धारण और अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चूँकि भूमि अभिलेखों की संरक्षक राज्य सरकार ही होती है, अतः राज्य सरकार का यह प्राथमिक दायित्व निहित है कि वह किसी भी भूमि खण्ड की स्थिति का निर्धारण राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधानों, राजपत्रित अधिसूचनाओं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों एवं निदेशों के अनुसार करे।

तेलंगाना वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1973 से राजस्व विभाग द्वारा कुल 448.90 हेक्टेयर भूमि के साथ 330.33 हेक्टेयर (330.1826 हेक्टेयर) वन भूमि को सरकारी भूमि के रूप में,

उप्परलकेसरम तथा अन्य गाँवों में विभिन्न खनन कार्यकलापों के लिए एम/एस एस.सी.सी.एल. को हस्तांतरित किया गया था।

पेद्दापल्ली खंड के मंथनी रेंज स्थित उप्परलकेसरम वन खंड में खनन कार्यकलापों एवं पेद्दापल्ली जिले में एस.सी.सी.एल. के अन्य संबंधित कार्यकलापों के लिए मंत्रालय ने दिनांक 21.11.2023 के पत्र संख्या 8-16/2021-एफ.सी. के माध्यम से 330.33 हेक्टेयर (डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण के अनुसार 330.1826 हेक्टेयर) वन भूमि के विनियमीकरण के लिए चरण-I/ सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन प्रदान किया है, यह अनुमोदन उल्लंघन हेतु दंडात्मक एनपीवी के भुगतान सहित निर्धारित कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है।

तेलंगाना सरकार ने चरण-I/ सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्धारित दंड के परित्याग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त परित्याग अनुरोध की जाँच दिनांक 27.08.2024 को आयोजित सलाहकार समिति बैठक में की गई। सलाहकार समिति की संस्तुतियों के आधार पर, मंत्रालय ने राज्य सरकार के परित्याग अनुरोध को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया तथा तदनुसार राज्य सरकार को मंत्रालय के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा अवगत करा दिया गया।

राज्य वन विभाग ने सूचित किया है कि एससीसीएल ने मंत्रालय के पोर्टल पर दिनांक 16.04.2025 को 34,31,29,794/-रु. की राशि क्षतिपूरक उपकरों हेतु काम्पा खाते में जमा करने के लिए चालान प्रस्तुत किया तथा दिनांक 07.05.2025 को भुगतान कर दिया। कुल राशि में से 31,63,83,467/-रु. एनपीवी हेतु तथा शेष राशि सुरक्षा क्षेत्र प्रबंधन हेतु है। तथापि, क्षतिपूरक तथा दंडात्मक उपकरों के भुगतान सहित चरण-I अनुमोदन की शर्तों के पूर्ण अनुपालन का विवरण राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

*****